UPKJ010023762025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी –नरेन्द्र कुमार झा, उच्चतर न्यायिक सेवा–UP02007

दाण्डिक निगरानी संख्या–76/2025

पुष्पेन्द्र यादव पुत्र गंगाशरण, निवासी–ग्राम आलीपुर पट्टी थाना भोगांव, जिला मैनपुरी।

............निगरानीकर्ता/प्रार्थी।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य जरिए डी.जी.सी. क्रिमिनल
2. सीमा पुत्री जवर सिंह
3. जवर सिंह पुत्र ख्याली प्रसाद
4. देवेन्द्र सिंह पुत्र मुलायम सिंह

निवासीगण– ग्राम सईयापुर थाना इन्दरगढ़, जिला कन्नौज।

5. राजवीर पुत्र सुदामालाल, निवासी ग्राम मुर्चा थाना ऊसराहार, जिला इटावा।

.............विपक्षीगण।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सरकार की ओर से डी.जी.सी. क्रिमिनल उपस्थित। विपक्षी संख्या–2 लगायत 5 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। वर्तमान दाण्डिक निगरानी अंतर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस. में न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–398/2025 पुष्पेन्द्र यादव बनाम सीमा आदि में पारित आदेश दिनांकित 15.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उपरोक्त प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है।

निगरानी का आधार यह है कि उसके भाई पारस यादव का विवाह सीमा पुत्री जवर सिंह निवासी ग्राम सईयापुर, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज के साथ हुआ था, जिसके उपरांत पत्नी एवं ससुरालीजनों द्वारा उसे निरंतर प्रताड़ित कर मकान एवं भूमि अपने नाम कराने हेतु दबाव बनाया जाता रहा। दहेज मुकदमे के दबाव में पारस यादव ने अपनी भूमि पत्नी के नाम कर दी, किन्तु पुनः सम्पत्ति के लिये उसे धमकाया एवं प्रताड़ित किया गया। सीमा के अपने बहनोई राजवीर से अवैध संबंध थे तथा विरोध करने पर पारस यादव को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। दिनांक 24.03.2025 को पारस यादव द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या किये जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे निगरानीकर्ता ने पारस यादव की पत्नी एवं ससुरालीजनों की प्रताड़ना का परिणाम बताया। घटना की रिपोर्ट थाना इन्दरगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को दिये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके पश्चात धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया न पाये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गई।

निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS दाखिल किया गया जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि उसके भाई पारस यादव ने अपनी पत्नी एवं ससुरालीजनों की प्रताड़ना से उत्पीड़ित होकर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

विधि का यह सिद्धांत है कि यदि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4)BNSS

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.05.15 16:55:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Kannauj.

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय के पास तीन विकल्प होते हैं। प्रथम विकल्प यह होता है कि वह प्रार्थना पत्र को उसी स्तर पर निरस्त कर दे। दूसरा विकल्प यह होता है कि वह प्रार्थना पत्र पर पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित कर दे। तीसरा विकल्प यह होता है कि प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर दे।

मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि पारस यादव ने फाँसी लगाकर आत्महत्या की थी तथा इस संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं आख्या पर विचारोपरान्त यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों से प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध का गठन परिलक्षित नहीं होता।

निगरानीकर्ता के समस्त कथनों का अवलोकन करने पर यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रकरण मुख्य रूप से पारिवारिक विवाद एवं वैवाहिक मतभेदों से संबंधित है। निगरानीकर्ता द्वारा लगाए गये आरोप सामान्य एवं अस्पष्ट प्रकृति के हैं तथा किसी विशिष्ट घटना, प्रत्यक्ष उकसावे अथवा ऐसे निकटवर्ती कृत्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित हो सके कि मृतक को आत्महत्या करने हेतु मृतक पारस की पत्नी व ससुरालीजनों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरित किया गया। केवल सामान्य प्रताड़ना अथवा पारिवारिक विवाद के आधार पर आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरण का अपराध स्वतः साबित नहीं माना जा सकता, जहाँ तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यदि आवेदन में किए गए कथन से संज्ञेय अपराध बनता हो तो न्यायालय को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश पारित करना चाहिए का प्रश्न है तो यह न्यायालय मात्र इतना कहना ही उचित समझती है कि यह सही है कि विधि के मत में यदि आवेदन से संज्ञेय अपराध बनता हो तो न्यायालय को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश देना चाहिए किन्तु यह भी विधि द्वारा स्थापित है कि न्यायालय परिस्थितियों का भी विश्लेषण कर सकती है। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''प्रार्थी के भाई की मृत्यु दिनांक 24.03.2025 को हुई है। प्रार्थी के भाई की शादी 2014 में विपक्षी संख्या–1 के साथ हुई थी। पत्रावली पर मध्यस्थता केन्द्र द्वारा भेजी गई नोटिस दिनांकित 23.08.2017 की छाया प्रति संलग्न है जिससे यह विदित है कि पति पत्नी के मध्य विवाद चल रहा था एवं मुकदमा दर्ज हुआ था। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा स्वयं खतौनी की छाया प्रति दाखिल की गई है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि मृतक पारस द्वारा अपनी पत्नी सीमा के नाम अपने हिस्से की जमीन का अंश भाग जरिए बैनामा अन्तरित कर दिया गया था जिसका दाखिल खारिज भी हो गया था, जबकि स्वयं प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.03.2018 को खाता संख्या 633, 613 व 614 पर 1 लाख 28,400 का ऋण लेकर जमीन को बंधक किया गया है। बंधक रखे जाने के बाद ही प्रार्थी के भाई द्वारा अपने हिस्से की जमीन अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर की गई है। यदि प्रार्थी की बात पर विश्वास किया जाए कि मृतक की पत्नी हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी और प्रार्थी के भाई को यह आशंका थी कि विपक्षी संख्या–1 के परिजन कभी भी हत्या कर सकते है तो वह वापस अपने घर क्यों नहीं आए। इसके अतिरिक्त यदि मृतक द्वारा प्रार्थी, परिवारीजनों व बहन को यह बताया गया था कि कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं तो परिवारीजन, प्रार्थी व बहन द्वारा किसी से भी शिकायत क्यों नहीं की गई है।''

यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा मृतक का कोई सुसाइड नोट अथवा मृतक को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आत्महत्या का तात्कालिक कारण विपक्षीगण द्वारा की गई प्रताड़ना थी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य

सामग्री का विश्लेषण कर न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, अनियमितता अथवा अधिकारिता का दुरुपयोग परिलक्षित नहीं होता है, जिससे निगरानी न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पर हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में निगरानी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रस्तुत निगरानी में कोई बल नहीं है तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2025 विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। फलस्वरूप, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता पुष्पेन्द्र यादव की ओर से प्रस्तुत वर्तमान दाण्डिक निगरानी संख्या 76/2025 पुष्पेन्द्र यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 398/2025 पुष्पेन्द्र यादव बनाम सीमा आदि में पारित आदेश दिनांकित 15.05.2025 पुष्ट किया जाता है। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस हो।

दिनांक–15.05.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE–UP02007